2025: CGHC: 7615

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 72/2024

1 - मिलन मीरी उर्फ़ कर्रा, पिता सागन मीरी, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी- सुंदराली, स्टेशन नगरदा, जिला शक्ति (छ.ग.)।

..... अपीलार्थी(गण)

विरुद्ध

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना नगरदा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)।

..... उत्तरवादी(गण)

अपीलार्थी (गण) के लिए	:	सुश्री समीक्षा गुप्ता, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य के लिए	:	सुश्री मोनिका ठाकुर, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा)

पीठ पर पारित निर्णय

दिनांक 12/02/2025

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 374 (2) के अंतर्गत विद्वान विशेष न्यायाधीश (एफटीएससी) सक्ती, जिला- जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 36/2023 में पारित आक्षेपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 19.10.2023 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी को निम्नलिखित रीती से अपराध के लिए दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया गया है:

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भा०द०सं० की धारा 363 के	5 वर्ष के लिए कठोर कारावास और ₹1000/- का अर्थदण्ड,

अंतर्गत	अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम में 6 महीने के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
भा०द०सं० की धारा 354 के अंतर्गत	2 वर्ष के लिए कठोर कारावास और ₹1000/- का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम में 3 महीने के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक 15.08.2023 को लगभग 5.00 बजे शाम को जब अप्राप्तवय पीड़िता आयु लगभग 5 वर्ष बिस्किट खरीदने के लिए दुकान पर गई थी और वापस आ रही थी, रास्ते में अपीलार्थी ने उसे चॉकलेट देने का लालच दिया और उसे बहला-फुसलाकर खेत की ओर ले गया, जिसे धनेश्वर नामक व्यक्ति ने देखा और उससे पूछा कि वह उसे कहां ले जा रहा है, तो अभियोक्त्री ने जवाब दिया कि अपीलार्थी उसे बलपूर्वक ले जा रहा है। इसके बाद वह पीड़िता को उसके घर ले आया और घटना की जानकारी दी। यह आरोप लगाया गया है कि इससे पहले भी, अपीलार्थी ने इसी तरह का अपराध कारित किया था, जिसके लिए वह कारावास में रहा था, इसलिए उसे संदेह था कि वह अप्राप्तवय पीड़ित को बुरी नियत से खेतों की ओर ले जा रहा होगा। पीड़िता के दादा की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 354 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम, 7, 18, 11(vi) तथा 12 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था। अन्वेषण के दौरान आवश्यक प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं, जैसे कि नजरी नक्शा बनाना, पुलिस को दिए कथन दर्ज करना, प्रदर्श पी-9 के अनुसार अभियोक्त्री की चिकित्सकीय जांच करना, प्रदर्श पी-2 के अनुसार जब्ती ज्ञापन तैयार करना और अप्राप्तवय का जन्म प्रमाण पत्र जब्त करना और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपी की गिरफ्तारी करना आदि, को पूरा करने के बाद भा०द०सं० की धारा 363, 354 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3 (vi) और 18 के अंतर्गत अभियोग पत्र दायर किया गया था।

3. अपना प्रकरण प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 साक्षियों का परीक्षण किया है। दं०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का कथन भी दर्ज किया गया है जिसमें उसने प्रकरण में निर्दोषता और गलत आलिप्तता का अभिवचन किया है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना के आधार पर दिनांक 8.4.2019 के निर्णय में दिए गए विवरण के अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दण्डादिष्ट किया, जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि ऊपर उल्लिखित अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि साक्षियों के साक्ष्य में कई विरोधाभासों और चूक के बावजूद, अधीनस्थ न्यायालय ने उसे भा०द०सं० की धारा 363 और 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 1 (vi) और 18 में आने वाले कृत्यों के लिए दोषसिद्ध ठहराने में एक गंभीर विधिक त्रुटि की है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोक्त्री की सही आयु के अवधारण के लिए, अभियोजन पक्ष को अस्थि जाँच का भी सहारा लेना चाहिए था। उनके अनुसार, चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के पक्ष में नहीं है, और कुछ कुटुंब विवाद के कारण, अपीलार्थी को अभियोक्त्री की माँ द्वारा एक झूठे प्रकरण में आलिप्त किया गया है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि कथित प्रत्यक्षदर्शी का कथन अस्पष्ट और अनिश्चित है क्योंकि वह नशे में था। धारा 354 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए किसी महिला के साथ यौन कृत्य हेतु

उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग या हमला आवश्यक है, तथापि ऐसा कोई अपराध घटित नहीं हुआ है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित अपीलार्थी की ओर से कोई यौन उत्पीड़न करने की प्रवृत्ति नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को कुछ पुरानी शत्रुता के आधार पर इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अपीलार्थी पहले ही 3 साल से अधिक का कारावास का दण्ड भुगत चुका है, इसलिए दण्ड को घटाकर भुगते हुए दण्डावधि तक कर दिया जाए। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी कुछ नरमी का हकदार है क्योंकि वह दिनांक 16.08.2023 से पहले ही विचारण की कठिन परीक्षा भुगत चुका है। आगे , यह निवेदन किया गया है कि इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाये और अपीलार्थी पर अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि को बढ़ाते हुए, उसे दिए गए दण्ड को पहले से व्यतीत दण्डावधि तक कम किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष साक्षियों के साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सीय, की उचित विवेचना पर आधारित हैं, अतः इस अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अध्ययन किया।

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने पहले पांच वर्षीय अभियोक्त्री से एक सामान्य प्रश्नावली पूछकर उसकी परिपक्वता के स्तर और मानसिक क्षमता का आकलन किया और उससे

संतुष्ट होने के बाद, उसका साक्ष्य दर्ज किया। अभियोक्त्री ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती थी और कथन किया कि वह उसका नाम नहीं जानती है परंतु वह उसके गाँव की है। उसने कथन किया है कि घटना की तिथि को, जब वह बिस्कुट खरीदकर घर आ रही थी, रास्ते में, आरोपी/अपीलार्थी ने उसे चॉकलेट और पैसे देने का लालच दिया और उसे बाड़ी की तरफ ले जाने लगा, और उसी समय, धनेश्वर ने उसे देख लिया तथा अपीलार्थी से पूछा कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है। अपीलार्थी ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उसने अप्राप्तवय पीड़िता को ले गया तथा उसे घर छोड़ दिया और उसकी माँ एवं दादी को घटना के बारे में सूचित किया। अभियोक्त्री ने इस बात से इनकार किया है कि उसका अभिसाक्ष्य उसके माता-पिता या किसी और के सिखाने पर आधारित है। अभियोक्त्री के साक्ष्य का समर्थन करते हुए, धनेश्वर (अभि०सा०-8) ने कथन किया है कि घटना की तिथि को जब वह खेतों से लौट रहा था, तो उसने देखा कि अपीलार्थी अप्राप्तवय पीड़िता को बलात खेत की ओर ले जा रहा था और अभियोक्त्री उससे हाथ छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। इसके बाद, वह अभियोक्त्री को अपने साथ ले गया और उसे घर छोड़ दिया और घटना के बारे में उसके दादा को सूचित किया और उसके बाद अभियोक्त्री के दादा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी ने पहले भी बलात्कार का अपराध कारित किया था और वह कारावास में भी रहा था। अभियोक्त्री के साक्ष्य का समर्थन करते हुए, उसने कथन किया है कि घटना की तिथि को आरोपी अभियोक्त्री को खेत की ओर ले जा रहा था और वही वह व्यक्ति है जिसने अपीलार्थी को देखा था और पीड़ित को उसके घर वापस लेकर आया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अभियोक्त्री की माँ(अभि०सा०-1) ने कथन किया है कि अपीलार्थी गाँव का निवासी है और घटना की तिथि को, जब उसकी बेटी बिस्कुट खरीदकर दुकान से लौट रही थी, तो अपीलार्थी उसे बलात बाड़ी की ओर ले गया, तथापि रास्ते में, धनेश्वर ने उसे बच्चे को बलपूर्वक ले जाते हुए देख लिया और फिर उसने उसे डांटा और बच्ची को घर वापस छोड़ दिया। धनेश्वर ने उन्हें सूचित किया कि अपीलार्थी अभियोक्त्री को चॉकलेट देने का प्रलोभन देकर ले गया था। उसने यह भी कथन किया है कि इससे पहले अपीलार्थी बलात्कार के प्रकरण में कारावास में रह चुका है। अभियोक्त्री के पिता(अभि०सा०-) ने कथन किया है कि घटना की तिथि को, शाम लगभग 5.15 बजे धनेश्वर ने उसे फोन किया था और घटना के बारे में सूचित किया था और अगली सुबह अभियोक्त्री ने उन्हें घटना के बारे में बताया और रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रदर्श पी-1 के अनुसार, सहमति लेने के बाद अभियोक्त्री की चिकित्सकीय जांच की गई। प्रतिपरिक्षण में, उसने कथन किया है कि पहले भी, बलात्संग के एक प्रकरण में वह अभिरक्षा में रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभियोक्त्री के दादा(अभि०सा०-5) ने कथन किया है कि घटना की तिथि को, अपीलार्थी उसकी पोती को बलात अपने साथ बाड़ी की ओर ले जा रहा था और वह विरोध कर रही थी। धनेश्वर ने जब उसे देखा तो उसने पूछा कि वह उसे कहां ले जा रहा है, तो अभियोक्त्री ने बताया कि वह उसे बलपूर्वक ले जा रहा है। इसके बाद, उसने हस्तक्षेप किया और अभियोक्त्री को घर वापस लाया और अभियोक्त्री के कुटुंब के सदस्यों को भी घटना के बारे में सूचित किया।

12. डॉ. शैली अग्रवाल (अभि०सा०-9) ने कथन किया है कि उन्होंने अभियोक्त्री की चिकित्सकीय जांच की है और उन्होंने रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 दी है। उन्होंने राय दी थी कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई थी।

13. जहाँ तक आयु के अवधारण का संबंध है, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोक्त्री की आयु 5 वर्ष है जो 12 वर्ष से कम है। अपीलार्थी ने उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया था।

14. अब, अभियोजन पक्ष द्वारा प्राप्त साक्ष्य की विश्वसनीयता की ओर मुड़ते हुए, अभियोक्त्री अपने परिसाक्ष्य का अभिवचन करते समय लगभग 5 वर्ष की थी और उसने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसका हाथ पकड़ लिया तथा पैसे और चॉकलेट देने का प्रलोभन देकर उसे जबरन खेत की ले जाने लगा और वह विरोध करने का प्रयत्न कर रही थी, परंतु उस समय, एक धनेश्वर ने उसे देखा और उसने उसे अपीलार्थी के चंगुल से छुड़ा लिया और उसके कुटुंब के सदस्यों को सौंप दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि केवल जांघ को छूने या रगड़ने के आधार पर, यौन कृत्य की मंशा की उपधारणा को स्थापित नहीं किया जा सकता है। इस पहलू पर, संबंधित अधिनियम के संबंधित उपबंध यहां उद्धृत करने योग्य हैं:-

> "धारा 29.कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा-जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।

16. इस प्रकरण में, अभियोक्त्री की आयु 5 वर्ष है, अभियोजन पक्ष के साक्षियों के अनुसार, अपीलार्थी उसे गलत इरादे से खेत की ओर ले जा रहा था और अभियोक्त्री विरोध करने का प्रयास कर रही थी। अपीलार्थी का यह कार्य उसके लैंगिक आशय को दर्शाने के

लिए पर्याप्त है, इसलिए, लैंगिक आशय के बारे में अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क निराधार पाया जाता है।

> इस पहलू पर, पंजाब राज्य विरुद्ध मेजर सिंह(AIR 1967 SC 63) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अधिकथित निर्णय यहां उद्धृत करने योग्य है:
>
> "15.धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किसी महिला की लज्जा भंग के आशय से या ऐसा करने की संभावना के ज्ञान के साथ हमला या आपराधिक बल का उपयोग करना है।
>
> संहिता "लज्जा" शब्द को परिभाषित नहीं करती है। फिर स्त्री की लज्जा क्या है?
>
> 16.....एक महिला की लज्जा का सार उसका लिंग है। एक वयस्क महिला की लज्जा उसके शरीर पर स्पष्ट झलकती है। युवा हो या वृद्ध, बुद्धिमान हो या मूर्ख, जागती हो या सोती हो, स्त्री में एक प्रकार की लज्जा होती है, जिसे भंग किया जा सकता है।
>
> जो कोई भी उसकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का उपयोग करता है, वह धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित करता है। अभियुक्त का दोषपूर्ण आशय प्रकरण का सार है। महिला की प्रतिक्रिया बहुत प्रासंगिक है, परंतु इसका अभाव हमेशा निर्णायक नहीं होता है, उदाहरण के लिए, जब विकृतचित्त अभियुक्त चुपके से सो रही महिला के देह को छूता है। वह मूर्ख हो सकती है, वह संज्ञाहरण के अधीन हो सकती है, वह सो रही हो सकती है, वह कृत्य के महत्व को समझने में असमर्थ हो सकती है; फिर भी, अपराधी इस धारा के अधीन दंडनीय है।
>
> एक अल्प आयु की महिला की स्थिति कुछ अलग होती है। उसका शरीर अपरिपक्व है, और उसकी यौन शक्ति सुषुप्त है। इस प्रकरण में पीड़ित साढ़े सात वर्ष की बालिका है। उसमें अभी तक लज्जा की भावना विकसित नहीं हुई है और उसे यौन क्रियाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी, उसके जन्म से ही वह लज्जाशील होती है जो उसके लिंग की विशेषता है।

वस्तुतः, एक महिला की लज्जा कैसे भंग होती है, यह कहीं भी परिभाषित नहीं है। एक महिला की लज्जा का सार उसका लिंग है। तथापि, अपीलार्थी का दोषपूर्ण आशय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकरण का सार है। महिला की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से प्रासंगिक है परंतु इसका अभाव हमेशा निर्णायक नहीं होता है। यहाँ, 5 वर्ष के बच्चे का प्रकरण है, इसलिए, अभियुक्त द्वारा लज्जा भंग करने के आशय को दर्शाने के लिए, अपीलार्थी का कार्य और आचरण प्रासंगिक होगा।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित उपरोक्त विधि को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त का कार्य और आचरण अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है जो भा०द०सं० की धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय है। इस प्रकार, यदि उपरोक्त तथ्यात्मक आधारों को अभियोजन पक्ष द्वारा, विशेष रूप से पीड़ित द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में सावधानीपूर्वक देखा जाता है, तो इस न्यायालय का यह सुविचारित अभिमत है कि लड़की को वैध संरक्षकता से दूर करने, उसे एकांत स्थान पर ले जाने से अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता पूरी तरह से स्थापित हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अभियोक्त्री हर जगह घटना का वर्णन देने में पूरी तरह से स्थिर थी, अर्थात पुलिस द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए कथन में, दण्डाधिकारी के समक्ष दं०प्र०सं० की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किये गए कथन में और विचारण के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य में भी, जिसकी संपुष्टि धनेश्वर (अभि०सा०-4) के साक्ष्य से हुई थी। यही कारण है कि कोई भी माता-पिता किसी तुच्छ कुटुंब विवाद के कारण अपनी बेटी के पूरे भविष्य को दांव पर लगाकर उस पर ऐसे अपमानजनक चरित्र-संबंधी आरोप नहीं लगाएंगे, जिससे समाज में उसकी जिंदगी भर बदनामी होगी।

19. जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संबंध है, यह भी सुप्रमाणित हुआ है, जब अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने स्पष्ट रूप से बताया था कि अपीलार्थी ने लगभग 5 साल की अप्राप्तवय पीड़िता को चॉकलेट और पैसे देने के

लिए बहलाया-फुसलाया था, और बलात उसे "बाड़ी" की ओर ले गया था। इन शर्तों के अधीन, भा०द०सं० की धारा 363 और धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष अभ्रांत और बेदाग पाए जाते हैं। अतः, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील निरस्त किए जाने के योग्य है। तदनुसार, इसे निरस्त किया जाता है।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

सुगुना दुबे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**